

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टरनावां (नागौर)

पीठासीन अधिकारी : ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

वादी:-

विनोदकुमार पुत्र गुगनराम जाति अग्रवाल निवासी नावां तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. ललितादेवी पत्नि पवनकुमार जाति अग्रवाल
2. ऋषभ पुत्र पवनकुमार जाति अग्रवाल
3. यश पुत्र पवनकुमार जाति अग्रवाल
4. रजत पुत्र पवनकुमार (ना.बा. जरिये संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 1 ललितादेवी पत्नि पवनकुमार) जाति अग्रवाल
5. राकेश कुमार पुत्र गुगनराम जाति अग्रवाल
6. रामकुमार पुत्र गुगनराम जाति अग्रवाल
7. सज्जन कुमार पुत्र गुगनराम जाति अग्रवाल
8. आचूदेवी पुत्री नाथूराम जाति कुम्हार
9. कन्हैयालाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार
10. आनन्दराम पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
11. कमल पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
12. गजानन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
13. परमेश्वर पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
14. पवनकुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
15. गोपाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
16. गौरीशंकर पुत्र पूसीदेवी जाति कुम्हार
17. चन्दादेवी पुत्री नाथूराम जाति कुम्हार
18. चन्द्राराम पुत्र लिछमणराम जाति कुम्हार
19. छितरमल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
20. छितरराम पुत्र टीकू जाति कुम्हार
21. तेजाराम पुत्र पूसीदेवी जाति कुम्हार
22. दुर्गादेवी पुत्री पूसीदेवी जाति कुम्हार
23. दुर्गालाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
24. नेमीचन्द पुत्र पूसीदेवी जाति कुम्हार
25. पन्नाराम पुत्र लिछमणराम जाति कुम्हार
26. रमेश पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
27. राधेश्याम पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
28. बिमलादेवी पुत्री गणेशराम जाति कुम्हार
29. सन्तोषदेवी पुत्री नाथूराम जाति अग्रवाल
30. सुनिता बंसल पुत्र हनुमानप्रसाद जाति अग्रवाल  
निवासीयान कस्बा नावां तहसील नावां।
31. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

दावा वास्ते भू-विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :- श्री रोहित कुमार पारीक अधिवक्ता वादी

श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

मुकदमा नम्बर:- 248/2022

निर्णय दिनांक:- 04.11.2022

### निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा ग्राम नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि नवीन खसरा नम्बर 312 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.64 हैक्टर कुल रकबा 4.25 हैक्टर भूमि स्थित रही हैं। उपरोक्त आराजीयात भूमि में वादी 2629/21250 हिस्सा की भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पति/पिता स्वर्गीय पवनकुमार पुत्र गुगनराम की 2629/21250 हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही हैं तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक की 2629/21250 हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही हैं। अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की उक्त कृषि भूमि एक ही चक में 2.629 हैक्टर भूमि आई हुई हैं। वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 7 की उपर्युक्त 2.629 हैक्टर भूमि मौके पर एक ही चक में स्थित चली आ रही हैं तथा वादी एवं दिगर प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी भूमियों का आपसी सुविधा अनुसार काफी समय पूर्व विभाजन कर मौके पर अपनी अपनी सींव माठ कायम कर ली जिसपर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजी ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की आजीविका का एकमात्र साधन हैं। वादी ने अपनी भूमि के विधिवत भू-विभाजन हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो पहले तो वह आश्वासन देते रहे तथा अब आना कानी करने लगे हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकारी प्राप्त नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह स्वयं या अपने एजेन्टों के मार्फत वादी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि में दखलंदाजी नहीं करें और सींव नीव के साथ छेडछाड नहीं करें। कस्बा ग्राम नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि नवीन खसरा नम्बर 312 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.64 हैक्टर कुल रकबा 4.25 हैक्टर भूमि में वादी अपनी दर्ज खातेदारी 2629/21250 हिस्सा की 0.5258 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की 2.1032 हैक्टर अर्थात् कुल रकबा 2.629 हैक्टर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू-विभाजन की डिक्री एवं उक्त भूमि की सींव माठके साथ प्रतिवादीगण छेडछाड नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 ता 32 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद अनुस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी वाद पत्र की इस्तदुआ सही एवं स्वीकार हैं। कस्बा नावां के खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320 कुल रकबा 4.25 हैक्टर भूमि में वादी अपनी दर्ज खातेदारी 2629/21250 हिस्सा की 0.2559 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की 2.1032 हैक्टर अर्थात् कुल रकबा 2.629 हैक्टर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू-विभाजन की डिक्री जारी कर

तहसील तहसीलदार नावां का जारी करावे तो हम प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई आपत्ति नहीं है व इसमें हमारी पूर्ण सहमति है। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी विनोद कुमार व पी.डब्ल्यू.2 गवाह नवीन छाबडा पुत्र हरकचन्द छाबडा जाति जैन निवासी नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। बहस सुनी गई। तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार कस्बा ग्राम नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि नवीन खसरा नम्बर 312 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.64 हैक्टर कुल रकबा 4.25 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की भूमि का भू-विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि कस्बा ग्राम नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि नवीन खसरा नम्बर 312 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.64 हैक्टर कुल रकबा 4.25 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू-विभाजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
नावां (नागौर)  
उपखण्ड अधिकारी  
नावां (नागौर)

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.

अज अदालत :- श्री ब्रह्मलाल जाट आर.ए.एस.

वादी:-

विनोदकुमार पुत्र गुगनराम जाति अग्रवाल निवासी नावां तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. ललितादेवी पत्नि पवनकुमार जाति अग्रवाल
2. ऋषभ पुत्र पवनकुमार जाति अग्रवाल
3. यश पुत्र पवनकुमार जाति अग्रवाल
4. रजत पुत्र पवनकुमार (ना.बा. जरिये संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 1 ललितादेवी पत्नि पवनकुमार) जाति अग्रवाल
5. राकेश कुमार पुत्र गुगनराम जाति अग्रवाल
6. रामकुमार पुत्र गुगनराम जाति अग्रवाल
7. सज्जन कुमार पुत्र गुगनराम जाति अग्रवाल
8. आचूदेवी पुत्री नाथूराम जाति कुम्हार
9. कन्हैयालाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार
10. आनन्दराम पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
11. कमल पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
12. गजानन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
13. परमेश्वर पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
14. पवनकुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार
15. गोपाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
16. गौरीशंकर पुत्र पूसीदेवी जाति कुम्हार
17. चन्दादेवी पुत्री नाथूराम जाति कुम्हार
18. चन्द्राराम पुत्र लिछमणराम जाति कुम्हार
19. छितरमल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
20. छितरराम पुत्र टीकू जाति कुम्हार
21. तेजाराम पुत्र पुसीदेवी जाति कुम्हार
22. दुर्गादेवी पुत्री पुसीदेवी जाति कुम्हार
23. दुर्गालाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
24. नेमीचन्द पुत्र पुसीदेवी जाति कुम्हार
25. पन्नाराम पुत्र लिछमणराम जाति कुम्हार
26. रमेश पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
27. राधेश्याम पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार
28. बिमलादेवी पुत्री गणेशराम जाति कुम्हार
29. सन्तोषदेवी पुत्री नाथूराम जाति अग्रवाल
30. सुनिता बंसल पुत्र हनुमानप्रसाद जाति अग्रवाल  
निवासीयान कस्बा नावां तहसील नावां।
31. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :- 248 / 2022

निर्णय दिनांक :- 04.11.2022

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री रोहित कुमार पारिक अधिवक्ता वादी एवं श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को डिक्री दी जाती हैं कि :-

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि कस्बा ग्राम नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि नवीन खसरा नम्बर 312 रकबा

उपखण्ड अधिकारी

नावां (नागौर)


1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.64 हैक्टर कुल रकबा 4.25 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू-विभाजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.11.2022 को जारी की गई।  
तहरीर जारी हो।

मुहर



दस्तखत:

ओहदा :   
उपखण्ड अधिकारी  
नावां (जयप्रकाश नगर)

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीलान	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL